

मध्यप्रदेश विधान सभा



फरवरी-मार्च, 2018 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 16 मार्च, 2018 (फाल्गुन 25, 1939)

समय 11.00 बजे दिन.

1. प्रश्नोत्तर.

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना.

(1) श्री जयभान सिंह पवैया, उच्च शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 47 की अपेक्षानुसार जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर (मध्यप्रदेश) का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-2017 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री पारस चन्द्र जैन, ऊर्जा मंत्री, कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड का पंचदश वार्षिक प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2016-2017 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण.

(1) सुश्री हिना लिखीराम कावरे, सदस्य, बालाघाट जिले में नियमित रूप से बिजली का प्रदाय न किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी.

(2) श्री लखन पटेल, सदस्य, दमोह जिले के ग्राम गीदन में लौह संयंत्र स्थापित न किये जाने की ओर उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री प्रताप सिंह, सदस्य, दमोह जिले में वन भूमि को राजस्व भूमि में हस्तांतरित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री वेलसिंह भूरिया, सदस्य, धार जिले के श्री राजेन्द्र सूरी साख सहकारी संस्था राजगढ़ के संचालक मंडल द्वारा अनियमितता किये जाने की ओर राज्यमंत्री सहकारिता का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) डॉ. मोहन यादव, सदस्य, उज्जैन की विनोद मिल के कर्मचारियों/मजदूरों के स्वत्वों का भुगतान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) श्री केदारनाथ शुक्ल, सदस्य, सीधी जिले में वी.आर.जी.एफ.योजना के तहत कर्मचारियों को वेतन न मिलने की ओर पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार, सदस्य, मुरैना जिले के आसन नदी पर बन रहे बांध के डूब प्रभावितों का व्यवस्थापन न किये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) श्री मधु भगत, सदस्य, बालाघाट जिले के लामता में नवीन महाविद्यालय खोले जाने की मांग किये जाने की ओर उच्च शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) श्री आरिफ अकील, सदस्य, प्रदेश के थानों में महिला शौचालय न होने से उत्पन्न स्थिति की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) श्री हेमन्त विजय खण्डेलवाल, सदस्य, बैतूल जिला मुख्यालय पर मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल द्वारा राशि जमा न किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति.

श्री शंकरलाल तिवारी, सभापति, याचिका समिति का याचिकाओं से संबंधित इकसठवां, बासठवां एवं तिरेसठवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

5. याचिकाओं की प्रस्तुति.

- (1) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, भिण्ड जिले के लहार में ए.डी.जे. कोर्ट हेतु भवन निर्माण किये जाने,
- (2) श्री सूबेदार सिंह रजौधा, सदस्य, मुरैना जिले के ग्राम तिलावली में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,
- (3) श्री लखन पटेल, सदस्य, दमोह जिले के ग्राम लुहरा से देवरान तक मार्ग स्वीकृत कराये जाने,
- (4) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य, श्योपुर जिले की तहसील बड़ोदा मुख्यालय में सिविल न्यायालय स्वीकृत किये जाने,
- (5) श्री सुशील कुमार तिवारी, सदस्य, जबलपुर जिले के ग्राम बरेला से पड़वार लिंक रोड तक डामरीकरण किये जाने,
- (6) श्री गोविन्द सिंह पटेल, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के ग्राम खैरी से जमाड़ा तक सड़क बनाये जाने,
- (7) कुंवर हजारीलाल दांगी, सदस्य, राजगढ़ जिले के ग्राम सोनखेड़ाकलां से रसूलपुरा तक सड़क निर्माण किये जाने,
- (8) श्री मानवेन्द्र सिंह, सदस्य, छतरपुर जिले के हरपालपुर नगर में अम्बेडकर/ मंगल भवन स्वीकृत किये जाने,
- (9) श्री कैलाश चावला, सदस्य, नीमच जिले के ग्राम बंजारी बुजुर्ग सहित अन्य ग्रामों को भी चम्लेश्वर जलाशय योजना में सम्मिलित किये जाने,
- (10) श्रीमती झूमा सोलंकी, सदस्य, खरगोन जिले के ग्राम कमादेवाड़ा से ब्रमनाला तक नवीन मार्ग निर्माण किये जाने,
- (11) श्री सोहनलाल बाल्मीक, सदस्य, छिन्दवाड़ा जिले के ग्राम नवेगांव और कोन्ड्रा के मध्य पुल का निर्माण किये जाने,
- (12) श्री कुंवरजी कोठार, सदस्य, राजगढ़ जिले के ग्राम भैसवामाता से देवीपुरा तक मार्ग का निर्माण किये जाने,
- (13) श्री प्रताप सिंह, सदस्य, दमोह जिले के ग्राम सुरई को मुख्य मार्ग से जोड़े जाने,
- (14) कुंवर सौरभ सिंह, सदस्य, कटनी जिले के ग्राम स्लीमनाबाद हायर सेकेण्ड्री स्कूल हेतु नई बिल्डिंग एवं खेल ग्राउण्ड स्वीकृत किये जाने,
- (15) श्री सुखेन्द्र सिंह, सदस्य, रीवा जिले के ग्राम पिपराही जड़कुड़ मार्ग का निर्माण कराये जाने,
- (16) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार, सदस्य, मुरैना जिले के ग्राम ऐसाह एवं जखौना में आंगनवाड़ी भवन बनाये जाने,
- (17) श्रीमती ममता मीना, सदस्य, गुना जिले के ग्राम पागड़ीधटा से बांडाबट्टा तक मार्ग निर्माण किये जाने,
- (18) श्री नीलांशु चतुर्वेदी, सदस्य, सतना जिले के ग्राम सरैयन में रपटा बनाये जाने,
- (19) डॉ. रामकिशोर दोगने, सदस्य, हरदा जिले के ग्राम मांदला से सुल्तानपुर तक मार्ग निर्माण कराये जाने,
- (20) श्रीमती ऊषा चौधरी, सदस्य, सतना जिले के ग्राम दिदौंध में शासकीय प्राथमिक शाला भवन निर्माण कराये जाने,
- (21) श्री देवेन्द्र वर्मा, सदस्य, खण्डवा जिले में राज्य बीमा चिकित्सालय की स्थापना किये जाने,
- (22) श्रीमती शीला त्यागी, सदस्य, रीवा जिले के ग्राम देवास स्थित हाईस्कूल का हायर सेकेण्ड्री में उन्नयन किये जाने,
- (23) श्री अमर सिंह यादव, सदस्य, राजगढ़ जिले की लगभग 150 आंगनवाड़ी केन्द्रों के भवन बनाये जाने,
- (24) श्री विजयपाल सिंह, सदस्य, भोपाल शहर के अम्बेडकर नगर स्थित लुम्बिनी परिसर में LIG मकान नं. 187 एवं 193 के समीप स्थित ट्रान्सफार्मर को 50 मीटर दूर स्थापित किये जाने,
- (25) श्री आर.डी. प्रजापति, सदस्य, छतरपुर जिले के विकासखण्ड गौरिहार के अंतर्गत शासकीय कन्या हाई स्कूल, बारीगढ़ व शासकीय माध्यमिक शाला, गहवरा के साथ अन्य स्कूलों का भी उन्नयन किये जाने,
- (26) श्री हितेन्द्र सिंह ध्यान सिंह सोलंकी, सदस्य, खरगोन जिले के ग्राम बड़वाहा से सिहवरकुट तक के मार्ग का डामरीकरण किये जाने,
- (27) श्री कालुसिंह ठाकुर, सदस्य, धार जिले के ग्राम नालछा के शासकीय कन्या हाई स्कूल का हायर सेकेण्ड्री में उन्नयन किये जाने,
- (28) श्री शैलेन्द्र जैन, सदस्य, सागर जिले के भगत सिंह वार्ड में लेहदरा नाका स्थित बड़ी नदी पर प्रतिमा विसर्जन हेतु घाट का विस्तार कराये जाने,
- (29) श्री नारायण सिंह पँवार, सदस्य, राजगढ़ जिले के ग्राम अमानपुरा से पड़ोनिया तक सड़क निर्माण कराये जाने,
- (30) श्री गिरीश भण्डारी, सदस्य, राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ नगर में इन्डोर स्टेडियम निर्माण किये जाने,
- (31) श्री गोवर्धन उपाध्याय, सदस्य, विदिशा जिले के ग्राम लटेरी एवं सिरोंज के अस्पतालों में डॉक्टरों की नियुक्ति किये जाने,
- (32) श्री रजनीश हरवंश सिंह, सदस्य, सिवनी जिले के ग्राम जामुनपानी से कछारी तक प्रधानमंत्री सड़क योजनांतर्गत सड़क निर्माण किये जाने,
- (33) श्री मथुरालाल, सदस्य, रतलाम जिले में पथकर नाकों (टोलप्लाजा) से ग्रामीणजनों के चार पहिया वाहनों को 15 कि.मी. परिधि में पथकर से मुक्त रखे जाने,
- (34) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय, सदस्य, रतलाम जिले के जावरा नगर में आउटडोर व इन्डोर स्टेडियम एवं स्वीमिंग पूल का निर्माण किये जाने,
- (35) डॉ. कैलाश जाटव, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के ठाकुर निरंजन सिंह महाविद्यालय का नवीन भवन निर्माण कर विज्ञान एवं गणित संकाय की कक्षाएँ प्रारंभ किये जाने,
- (36) श्री अनिल जैन, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के ग्राम टेहरका में स्टेडियम का निर्माण कराये जाने,
- (37) श्री ठाकुरदास नागवंशी, सदस्य, होशंगाबाद जिले के पिपरिया अंतर्गत सिंचाई हेतु देनवा डायवर्सन परियोजना स्वीकृत किये जाने,
- (38) श्री केदारनाथ शुक्ल, सदस्य, सतना जिले के ग्राम आनंदगढ़ के आदिवासी बाहुल्य मोहल्ले को आर.सी.सी. रोड से जोड़े जाने,
- (39) श्री रामपाल सिंह (ब्यौहारी), सदस्य, शहडोल जिले के ग्राम अन्तौली में प्राथमिक विद्यालय हेतु नया भवन स्वीकृत किये जाने,
- (40) श्री हरदीप सिंह डंग, सदस्य, मन्दसौर जिले के ग्राम आवरा तथा आवरी के मध्य चंबल नदी पर पुल निर्माण कराये जाने,
- (41) श्री मधु भगत, सदस्य, बालाघाट जिले के सरेखा एवं अरण्डिया के हाईस्कूल का हायर सेकेण्ड्री स्कूल में उन्नयन किये जाने,

- (42) श्री संजय उइके, सदस्य, बालाघाट जिले के ग्राम बोरी के वार्ड नं. 16 एवं 18 में हैण्डपंप खनन किये जाने,
(43) श्री जितेन्द्र गेहलोत, सदस्य, रतलाम जिले के ग्राम आलोट स्थित शासकीय महाविद्यालय में वाणिज्य संकाय के व्याख्याताओं के पदों का सृजन किये जाने,
(44) श्री रामप्यारे कुलस्ते, सदस्य, मण्डला जिले के ग्राम बिलगांव एवं देवगांव के हाई स्कूल का हायर सेकेण्ड्री स्कूल में उन्नयन किये जाने,
(45) श्री प्रदीप अग्रवाल, सदस्य, दतिया जिले के ग्राम मोहनपुरा में खेतों व ग्राम के बीच स्थित नाले पर पुलिया बनाये जाने,
(46) श्री महेन्द्र सिंह बागरी, सदस्य, पन्ना जिले के गुन्नौर उपकृषि उपजमण्डी को पूर्ण कृषि उपज मण्डी का दर्जा दिलाये जाने,
(47) श्री दीवान सिंह पटेल, सदस्य, बड़वानी जिले के ग्राम राखी में पुलिया निर्माण किये जाने,
(48) श्री दिलीप सिंह परिहार, सदस्य, नीमच जिले के ग्राम दारू में उपस्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना किये जाने,
(49) श्री आशीष गोविन्द शर्मा, सदस्य, देवास जिले के ग्राम बजवाड़ा से पुराना नवाड़ा तक एवं नलघाट से बिछाखेड़ी तक सड़क बनाये जाने,
(50) श्री रामनिवास रावत, सदस्य, श्योपुर जिले के ग्राम गोरस के हाईस्कूल का हायर सेकेण्ड्री स्कूल में उन्नयन किये जाने,
(51) श्री सुन्दरलाल तिवारी, सदस्य, रीवा जिले के गोविन्दगढ़ नगर पंचायत की सड़कों का निर्माण किये जाने,
(52) श्री जयवर्द्धन सिंह, सदस्य, गुना जिले के ग्राम जरकपुरा से कोलुआ तक सड़क निर्माण किये जाने,
(53) श्री संजय शर्मा, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के ग्राम लिलवानी के पास सुखचैन नदी पर स्टापडेम निर्माण किये जाने,
के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

**निर्धारित
समय**

6. वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः).

2 घण्टे

- | | | |
|-----|------------------|--|
| (1) | मांग संख्या – 8 | भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन |
| | मांग संख्या – 9 | राजस्व विभाग से संबंधित व्यय |
| | मांग संख्या – 46 | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी |
| | मांग संख्या – 58 | प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय. |

1 घण्टा

- | | | |
|-----|------------------|----------------------|
| (2) | मांग संख्या – 55 | महिला एवं बाल विकास. |
|-----|------------------|----------------------|

1 घण्टा

- | | | |
|-----|------------------|---|
| (3) | मांग संख्या – 39 | खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण. |
|-----|------------------|---|

1 घण्टा

- | | | |
|-----|------------------|--------|
| (4) | मांग संख्या – 12 | ऊर्जा. |
|-----|------------------|--------|

7. अशासकीय संकल्प.

40 मि.

- (1) श्री दिनेश राय 'मुनमुन', सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -
“सदन का यह मत है कि औद्योगिक इकाइयों द्वारा विसर्जित ठोस अपशिष्टों का निपटान न करने वाली इकाइयों पर कठोरतम कार्यवाही की जाए.”.

40 मि.

- (2) श्री रामलल्लू वैश्य, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -
“यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश की पिछड़ा वर्ग की अनुसूची में शामिल वैसवार जाति को भारत सरकार की पिछड़ा वर्ग जाति की अनुसूची में शामिल करने की अनुशंसा की जाए.”.

40 मि.

- (3) श्री शैलेन्द्र पटेल, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -
“यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि जिस प्रकार ट्रेक्टर से दुर्घटना होने पर बीमा क्लेम दिया जाता है उसी प्रकार ट्रेक्टर से चलित सहायक यंत्रों से दुर्घटना होने की दशा में बीमा क्लेम दिया जाए.”.

8. नियम-52 के अधीन आधे घण्टे की चर्चा.

दिनांक 8 मार्च, 2018 को नगरीय विकास एवं आवास मंत्री से पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 4 (क्रमांक 484) के उत्तर से उद्भूत विषय (जिसका उत्तर राजस्व मंत्री देंगे) पर श्री सुन्दरलाल तिवारी, सदस्य चर्चा उठायेंगे.

भोपाल :
दिनांक : 15 मार्च, 2018

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.